केन्द्रीय विद्यालय संगठन

केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मुख्यालय)
18, संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीतसिंह मार्ग,
नई दिल्ली–110016.
KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN (HQ)
18, INSTITUTIONAL AREA, SJS MARG
NEW DELHI- 110016

दिनांक: 11 / 07 / 2017
फा. 110352/28/2017/केविसं(मु)/प्रका/न्यूजलेटर/अंक–4

सेवा में,
समस्त उपायुक्त/निदेशक
केंद्रीय विद्यालय संगठन
एवं
प्राचार्य: के.वि. तेहरान, काठमाण्डू, मॉस्को

विषय: शाला ध्वनि के अंक–4 (जुलाई–सितंबर) के प्रकाशन के संदर्भ में।

शाला ध्वनि-KVS News के चौथे अंक (जुलाई–सितंबर), जिसमें **अप्रैल से जून**, 2017 माह की गतिविधियों को समाहित किया जाएगा, के प्रकाशन हेतु सामग्री का संकलन किया जाना है। सामग्री प्रेषित करने हेतु **15 जुलाई 2017 अंतिम तिथि** रखी गई है।

न्यूजलेटर को समय से प्रकाशित किया जाना नितांत आवश्यक है, जिसके लिए समयबद्ध तरीके से सामग्री का संकलन जरूरी है। किंतु देखा गया है कि बार–बार आग्रह के उपरांत भी न्यूजलेटर के लिए समय से उपयुक्त एवं उचित सामग्री नहीं मिल पा रही है। 'शाला ध्वनि/KVS News' संगठन की विभिन्न गतिविधियों, उपलब्धियों एवं योजनाओं को प्रस्तुत करने के लिए एक सशक्त माध्यम है। संगठन में विद्यालय से लेकर मुख्यालय स्तर तक निरंतर रोचक गतिविधियों के साथ–साथ उपलब्धियां प्राप्त हो रही हैं। बहुत से अभिनव प्रयोगों एवं प्रयासों के सकारात्मक परिणाम मिले हैं। ऐसी सभी घटनाओं, गतिविधियों एवं उपलब्धियों को संगठन के न्यूजलेटर में स्थान मिलना चाहिए, किंतु, न्यूजलेटर में प्रकाशन हेतु जानकारियां प्रदान करने में संभागों एवं विभिन्न अनुभागों द्वारा तत्परता नहीं दिखाई जा रही है।

अतः सभी संबंधित अधिकारियों से अपेक्षा है कि वे ऐसी समस्त जानकारियों को प्रत्येक तिमाही के अनुसार 'शाला ध्वनि' में प्रकाशित कराने हेतु तत्परता दिखाएं एवं न्यूजलेटर के प्रकाशन को गंभीरता से लिया जाए।

शाला ध्वनि का वार्षिक शिड्यूल निम्नलिखित है:

क्र	तिमाही	अंक	सामग्री भेजने की अंतिम तिथि
1.	जनवरी–मार्च	अप्रैल–जून	15 अप्रैल
2.	अप्रैल–जून	जुलाई–सितंबर	15 जुलाई
3.	जुलाई–सितंबर	अक्टूबर–दिसंबर	15 अक्टूबर
4.	अक्टूबर–दिसंबर	जनवरी–मार्च	15 जनवरी

प्रासंगिक चित्रों के साथ समस्त जानकारी सहायक संपादक को निम्नलिखित ईमेल आईडी पर प्रेषित की जा सकती है: assisteditor.kvs@gmail.com

संतोष 11/7/17
(संतोष कुमार मल्ल)
आयुक्त,
केंद्रीय विद्यालय संगठन

प्रतिलिपि:
संयुक्त आयुक्त (शै.)
संयुक्त आयुक्त (प्रशि.)
संयुक्त आयुक्त (प्रशा.)
संयुक्त आयुक्त (का.)
संयुक्त आयुक्त (वित्त.)
अधीक्षण अभियंता
समस्त सहायक आयुक्त (के.वि.सं. मुख्यालय)